सजा को दहेज की मांग भर पर्याप्त सबूत नहीं

फैसला

- दहेज मौत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला

नई दिल्ली, एजेंसियां : दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि पति व सास-ससुर यदि दहेज की मांग करते है और इस दौरान अगर पत्नी या बहू की अस्वाभाविक मौत हो जाती है तो आरोपियों को सजा देने के लिए दहेज की मांग पर्याप्त सबूत नही है।

अदालत के अनुसार, यह साबित किया जाना जरूरी है कि पीड़ित को प्रताड़ित किया गया, तभी किसी व्यक्ति को दहेज हत्या के मामले में सजा दी जा सकती है। न्यायाधीश एसएन धींगरा ने कहा कि महज दहेज की मांग करना किसी को भादंसं की धारा 304 बी (दहेज हत्या) के तहत सजा देने के लिए काफी नहीं है। अभियोजन को यह साबित करना होगा कि दहेज की मांग के साथ पीड़ित को प्रताड़ित भी किया गया।

अदालत ने एक ऐसे ही मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया, जिसे दोषी साबित करने के लिए पुलिस भरोसेमंद सबूत पेश नही कर पाई। पुलिस यह साबित नहीं कर पाई कि आरोपी या उसके परिवार के किसी सदस्य ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित किया। इस मामले में गवाह ने इतना भर कहा कि पीड़ित के परिवार से दहेज की मांग की जा रही थी। अदालत ने कहा कि अप्राकृतिक रूप से हुई मौत को दहेज के मामले में हुई मौत तब तक नहीं बताया जा सकता, जब तक कि यह साबित नहीं होता कि पत्नी या बहू को उत्पीड़ित किया गया, उसके साथ बर्बरता से पेश आया गया। अदालत ने कहा कि दहेज की कथित मांग के साथ प्रताड़ना या बर्बरता का पहलू नहीं है तो दहेज की वजह से हुई मौत का मामला नहीं बनता। अदालत के अनुसार, शादी के बाद आत्महत्या के हर मामले को दहेज के कारण हुई मौत का मामला नहीं कहा जा सकता है। निचली अदालत के आदेश को रद करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालय का रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि शादी के बाद चूंकि युवा दुल्हन की मौत हुई है तो किसी न किसी को दोषी ठहराया जाना चाहिए और गले पर फंदा कस देना चाहिए। निचली अदालत ने एक शख्स को दहेज के कारण पत्नी की हत्या करने का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाया था।

गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

निर्णय

- अग्रिम जमानत पर शर्त लगाना संविधान पीठ के आदेश का उल्लंघन

नई दिल्ली, प्रेट्र : किसी आरोपी की गिरफ्तारी से सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके परिवार और समुदाय को भी गंभीर परिणाम झेलने पड़ते है। इससे जुड़े अपमान, अपयश और शर्मिंदगी के मद्देनजर इसका अपवाद के तौर पर अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जब तक पुलिस को यह न लगे कि किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार करना निहायत जरूरी है, तब तक ऐसा न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी है। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उसके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। यह बेशकीमती मूल अधिकार है। इस पर पाबंदी तभी लगानी चाहिए जब ऐसा करना बहुत जरूरी हो। पीठ ने यह भी कहा कि किसी मामले में आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत उसकी सुनवाई खत्म होने तक की अवधि के लिए होनी चाहिए। शर्तों के साथ अग्रिम जमानत देना और फिर नियमित जमानत के लिए सुनवाई करना इस संबंध में संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ है। अग्रिम जमानत के लिए कोई शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए। अगर अदालत को ऐसा लगता है कि अग्रिम जमानत रद की जानी चाहिए तो वह कभी भी ऐसा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक मामले की सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी। 26 सितंबर 2009 को राज्य के भाजपा के एक नेता की हत्या के आरोप में पुलिस ने कांग्रेस नेता सिद्धराम सतलिंगप्पा को गिरफ्तार किया था। बांबे हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सर्वोच्च अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।